झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1162 वर्ष 2017

डॉ0 राम नाथ राम .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. प्रधान सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

3. उप सचिव, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

4. निदेशक, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

5. क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग, झारखंड सरकार, रांची।

6. जिला पशुपालन अधिकारी, रांची

7. ट्रेजरी ऑफिसर, रांची

.... प्रतिवादीगण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– मैसर्स राहुल कुमार और जगेश्वर महतो, अधिवक्तागण

प्रतिवादी–राज्य के लिएः– श्री समीर सहाय, अधिवक्ता

09/26/08/2019 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी–राज्य के विद्वान वकील के बारे में सुना गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राहुल कुमार प्रस्तुत करते हैं कि पेंशन नियमों की धारा 43 बी के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही दिनांक 19.07.2019 के संकल्प द्वारा ही वर्ष 2017 में शुरू कर दी गई थी, लेकिन, आज तक, वह पूरी नहीं हुई है

और, इस प्रकार, एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियम 43 बी के तहत कार्यवाही पूरी करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश जारी किया जाए।

श्री समीर सहाय, प्रत्यर्थी–राज्य के विद्वान वकील को कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रत्यर्थी को इस न्यायालय के आदेश और निर्देश के अनुसार विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचियों की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ता के कुछ सेवानिवृत्ति बकायों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता को प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर नरए अभ्यावेदन पेश करने की अनुमति देकर रिट याचिका का निपटान किया जाता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा,, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और वह सेवानिवृत्ति की बकाया राशि और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य बकाया पाने का हकदार है, तो प्रतिवादियों–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार वैधानिक ब्याज के साथ ही इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)